

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक /
प्रति,

भोपाल, दिनांक .मई, 2009

समर्त क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी
म0प्र0

विषय:-वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग में वनभूमि व्यपर्वतन में अधिकार सौंपने विषयक।

--0--

म.प्र.शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-5/2/2006/10-3 दिनांक 29.08.2006 के द्वारा कतिपय प्रकरणों में वन भूमि व्यपर्वतन के अधिकार क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को दिनांक 31/12/2006 तक के लिए प्रत्यायोजित किये गये हैं तथा ज्ञाप क्रमांक 5/11/2006/10-3 दिनांक 19.04.2007 के द्वारा सौंपे गये यह अधिकार आगामी आदेश तक निरंतर लागू रहने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य शासन एतद् द्वारा इन परिपत्र के द्वारा जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से अधिकमित करता है।

2/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए वनभूमि के परिवर्तन का उपबंध करेगी जिसके अंतर्गत प्रति हेक्टेयर पचहत्तर से अनाधिक पेड़ों का गिराया जाना भी है, अर्थात्:-

- (क) विद्यालय;
- (ख) औषधालय या अस्पताल;
- (ग) आंगनबाड़ी;
- (घ) उचिंत कीमत की दुकानें;
- (ङ) विद्युत और दूरसंचार लाइनें;
- (च) टंकियां और अन्य लघु जलाशय;
- (छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइनें;
- (ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;
- (झ) लघु सिंचाई नहरें;
- (ञ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत;
- (ट) कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
- (ठ) सड़कें; और
- (ड) सामुदायिक केन्द्र;

परन्तु वनभूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा, जब—

- (i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम है; और
- (ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्रामसभा द्वारा की गई हो।

/ उक्त प्रावधानों के तारतम्य में भारत शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक 23011/15/2008/एसजी-II दिनांक 18.05.2009 के द्वारा निर्देश जारी कर दिये हैं जिनमें पैरा-2 में उल्लेखित व्यपवर्तन के लिए कार्यविधि का उल्लेख है। इन उल्लेखित कार्यविधियों की प्रति संलग्न है।

4/ संलग्न कार्यविधि के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध को नोडल अधिकारी घोषित किया जाता है, जो कि कार्यविधि में चाहे अनुसार प्रतिवेदन भारत शासन जन जातीय कल्याण मंत्रालय एवं वन मंत्रालय तथा म0प्र0 शासन, वन विभाग को प्रेषित करेंगे।

5/ अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप संलग्न की गई कार्यविधि के अनुसार पैरा-2 में उल्लेखित कार्यों के लिए वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति जारी करने हेतु क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं।

6/ कृपया इन निर्देशों के पालन में आवश्यक कार्यवाही करें।

(रतन पुरवार)
सचिव

पृ० क्रमांक ८५ १११०६ १०७

म0प्र0शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक २९/०५/२००९

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया इन आदेशों के माध्यम से निर्धारित कार्यविधि की जानकारी समस्त ग्रामसभा के सज्जान में भारत शासन, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय ज्ञाप दिनांक 18.05.2008 चाहे अनुरूप लाने का कष्ट करें।
- प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग/ऊर्जा विभाग/जल संराधन विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/पंचायत प्रावं ग्रामीण विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/गृह विभाग।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भू-प्रबंध।
- समरत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक म0प्र0।
- समस्त जिलाध्यक्ष म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सचिव)

कार्यविधि उपाय एवं कल्याण कुलकर्णी, स. (कृष्णप्रबद्ध)

एकाक्रम नुम्बर - ११०९/३५/१०-११/ ११८७ श्रोता नं. ३-६-०९

प्रतिलिपि:- १. राज्यसत छात्रीय नुस्खे एवं संस्कारक म0प्र0

२. राज्यसत एवं लालूपाल कर्मसूल म0प्र0

३. समस्त छात्रीय एवं संस्कारक कार्यक्रमों में

४. समस्त कल्याण प्रधारणी कार्यक्रमों के प्रति विभाग के उपायकर्ता

मुख्य विभाग

कार्यविधि द्वेष्टु उपायकर्ता

१०३/६/०९
कुलपत्र व जस्ताकर्ता एवं विभाग